राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भगवान कँवर बनाम विक्रम सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	135/2009	

18/12/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो |

29/12/2025 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/06/2009 पारित करते हुये रेस्पो. संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलार्थीयां को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील जयपुर स्थित खाता संख्या 2 के खसरा नम्बर 39 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा व खाता संख्या 3 के खसरा नम्बर 7/2 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा बिस्वा को विक्रय या हस्तान्तरण नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विस्तुत परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी प्रतीत नही होती है | प्रकरण के इस स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29/06/2009 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |